न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 61/2003 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. रामेशर पुत्र धूडा जाति मीणा
2. रामगोपाल पुत्र धूडा जाति मीणा
3. जगदीश पुत्र धूडा जाति मीणा
4. प्रभू पुत्र धूडा जाति मीणा
5. रामस्वरूप पुत्र धूडा जाति मीणा
6. गुलझारी पुत्र बन्शी जाति मीणा
7. राजू पुत्र बन्शी जाति मीणा
8. हंशराज पुत्र बन्शी जाति मीणा उम्र 17 साल
9. प्रकाश पुत्र बन्शी जाति मीणा उम्र 7 साल
10. लालाराम पुत्र बन्शी जाति मीणा उम्र 11 साल

    नाबालिगान सरपरस्त भ्राता खुद उमराव पुत्र बन्शी अपीलांट संख्या 11
11. उमराव पुत्र बन्शी जाति मीणा

    निवासीयान बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:———— अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बनाम

1. मामराज पुत्र प्राना जाति मीणा साकिन बानसूर
2. मामला पुत्र मंगल जाति मीणा साकिन बानसूर
3. हरीराम पुत्र रामदेव जाति मीणा साकिन बानसूर

तहसील बानसूर जिला अलवर ।

:------- रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उप जिलाधीश,बानसूर

दिनांक 3.5.2003

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री रामेश्वर दयाल

2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, रमेश चन्द शर्मा, महेन्द्रकुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 19.5.2017

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उप जिलाधीश, बानसूर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 55/2001 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी0 पी0 सी0 में पारित आदेश दिनांक 3.5.03 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये गये थे ।

यू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2. विद्वान वकील अपीलांट अप्रार्थी का कथन है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश हमारी इकतरफा में पारित किया है । हमारी प्रोपर तामील नहीं हो सकी थी,इसलिये उक्त प्रकरण की समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । यह कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी0 पी0 सी0 में प्रार्थी रेस्पो0 ने यह अनुतोष नहीं चाहा था कि हम अपीलांट की खातेदारी की भूमि को कब्जेराज कुर्क किया जावे, परन्तु फिर तहत न्यायालय ने यह अनुतोष दे दिया । विवादित आराजी खसरा नम्बर 347/2 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर हम अपीलांट की कब्जे काश्त खातेदारी की बुजुर्गानी आराजी है, जिस पर रेस्पो0 प्रार्थी का कोई हक नहीं है । इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 347/1 चारागाह है, जिसकी मालिक ग्राम पंचायत होती है । इससे भी रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है । धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.7.2001 को यथास्थिति के आदेश दिये गये थे, जो गलत है । क्योंकि उक्त आराजी के हम खातेदार हैं और कानूनन एक खातेदार को टी0 आई0 से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं, इस आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि आराजी की यथास्थिति किस प्रकार से बनाई जावे । आदेश 39 नियम 2 ए के प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य झूंठे पेश किये गये हैं । हमने कोई पेड नहीं काटा है और ना ही यथास्थिति के आदेश की अवहेलना की है । तहत न्यायालय को मौके की जांच करने के उपरान्त ही आदेश पारित करना चाहिये था । हुकम उदली के प्रार्थना पत्र में न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि स्थगन आदेश की अवहेलना हुई है अथवा नहीं । अगर अवहेलना हुई है तो विपक्षी को पाबन्द किया जा सकता है । आराजी को कब्जेराज लेकर कुर्क करने का आदेश हुकम उदुली के प्रार्थना पत्र में नहीं दिये जा सकते । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 का कथन है कि ये लोग स्थगन आदेशकी अवहेलना कर रहे थे । आराजी की शक्ल–ओ–सूरत परिवर्तित करने पर आमदा थे । पेड काट रहे थे । मना करने पर झगडा करते थे । इसलिये हमने आदेश 39 नियम 2 ए सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो विधिसम्मत स्वीकार किया गया है । अपीलांट का यह कथन भी गलत है कि आदेश 39 नियम 2 ए के तहत कुर्की के आदेश नहीं दिये जा सकते । इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी । मेरा यहां यह भी निवेदन है कि आदेश 39 नियम 2 ए के अधीन की गई कार्यवाही 1 वर्ष तक के लिऐ जारी रह सकती है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वतः ही खारिज हो चुकी है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही आदेश 39 नियम 2 ए के प्रावधानों का भी अध्ययन किया । जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिऐ प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होनें पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकार, जो वह ठीक समझे, उस पक्षकार किो दिलवा सकेगा, जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा । इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि आदेश 39 नियम 2 ए के अधीन की गई कार्यवाही 1 वर्ष तक के लिए ही जारी रह सकती है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.5.2003 को पारित किया गया है, जिसे पारित हुये 17 साल व्यतीत हो चुके हैं । अब अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही आदेश 39 नियम 2 ए सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव में नहीं है । जब अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही प्रभाव में ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह अपील स्वतः ही निरस्त हो चुकी है ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner